भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 260
दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा न्यूनीकरण, पुनर्प्राप्ति और पुननिर्माण परियोजनाएं

†260. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः

श्री चंदन चौहानः

श्री राहुल सिंह लोधीः

श्री विजय बघेलः

श्री प्रवीण पटेलः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्च अधिकार प्राप्त समिति (जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं) द्वारा अनुमोदन न्यूनीकरण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं के लिए राज्यों और शहरों के चयन हेतु अपनाए गए मानदंड क्या है;

(ग) वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) तथा संबंधित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता राशि कितनी है; और

(घ) शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) के अंतर्गत चुने गए शहरों में बाढ़ से बचने और आपदा की तैयारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा अनुमोदित शमन, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक-I पर है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 260, दिनांक 02.12.2025

(ख): पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर शमन की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए समुदाय आधारित स्थानीय पहलों के लिए, राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) के तहत निधि प्रावधानों की सिफारिश ऐसे दृष्टिकोण के अनुसरण में की जो लचीले उपायों के माध्यम से जोखिमों के साथ समायोजन को बढ़ावा देता है। एनडीएमएफ के तहत निधि आवंटन 13,693 करोड़ रुपये, जोकि राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एनडीआरएमएफ) के लिए कुल आवंटन 68,463 करोड़ रुपये का 20 प्रतिशत है।

इसमें से, XV-FC ने चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अर्थात बारह सबसे अधिक सूखा-प्रवण राज्यों को उत्प्रेरक सहायता; दस पहाड़ी राज्यों में भूकंप और भूस्खलन जोखिम प्रबंधन, सात सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम को कम करना और कटाव को रोकने के लिए बचाव के उपाय के लिए 5,950 करोड़ रुपये का निधि आवंटन निर्धारित किया है ।

एनडीएमएफ के अंतर्गत शेष आवंटन से राज्यों की शमन परियोजनाएँ /कार्यक्रम जोखिम (क्षेत्र और जनसंख्या) तथा संकट और संवेदनशीलता जैसे महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर विचारार्थ लिए जाते हैं ।

इसी तरह, XV-FC द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण (R&R) फंडिंग विंडो के तहत 20,539 करोड़ रुपये, यानी एनडीआरएमएफ के कुल आवंटन 68,463 करोड़ रुपये का 30% के निधि आवंटन की भी सिफारिश की गई है।

किसी भी गंभीर आपदा को घटना के बाद अतिमहत्वपूर्ण और महत्व के सामाजिक अवसंरचनाओं की रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए R&R फंडिंग विंडो से आवंटन राज्य सरकार द्वारा किए गए आपदा पश्चात आवश्यकता मूल्यांकन (PDNA) द्वारा किये गए दूसरे चरण के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 28.02.2022 को एनडीएमएफ के गठन और प्रशासन के लिए दिशानिर्देश बनाए गए हैं। दिशानिर्देश में एनडीएमएफ के अंतर्गत की जाने वाली शमन परियोजनाओं के लिए मानदंड बताए गए हैं। दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार, एनडीएमएफ खास तौर पर एनडीआरएफ की दिनांक 12.01.2022 के दिशानिर्देश में शामिल आपदाओं से जुड़े शमन परियोजनाओं के लिए है। इसके अतिरिक्त, हीटवेव और आकाशीय बिजली से होने वाली क्षति को कम करने के उपाय भी एनडीएमएफ से किए जा सकते हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 260, दिनांक 02.12.2025

केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2024 को एनडीआरएफ के तहत R&R फंडिंग विंडो के गठन और प्रशासन के लिए भी दिशानिर्देश बनाए गए हैं।

एनडीएमएफ और एनडीआरएफ के तहत R&R फंडिंग विंडो के दिशानिर्देश वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ग): एनडीएमएफ के तहत राज्यों को वर्ष 2025-26 के लिए दी गई कुल वित्तीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-II में हैं।

(घ): शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) और यूएफआरएमपी चरण-2 के तहत चुने गए शहरों के लिए अनुमोदित कार्यक्रमों के तहत, बाढ़ रेजिलिएंस बढ़ाने के लिए कई संरचनात्मक उपाय जैसे नए भौतिक अवसंरचनाओं का निर्माण, मौजूदा महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को उन्नत करना, जल निकायों का पुनरुद्धार और कायाकल्प, बाढ़ प्रबंधन संरचना की सुरक्षा, नई प्रकृति आधारित समाधान की स्थापना आदि को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई गैर-संरचनात्मक उपाय जैसे जोखिम और भेद्यता मूल्यांकन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना और सामुदायिक जागरूकता और जुड़ाव और बाढ़ रेजिलिएंट शहरी नियोजन भी अनुमोदित कार्यक्रम में शामिल हैं।

शहरी बाढ़ से संबंधित परियोजना के लिए, पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सात शहरों अर्थात तीन महानगरों अर्थात मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और चार शहरों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के लिए बाढ़ प्रबंधन और शहरी बाढ़ की रोकथाम के लिए एकीकृत समाधान की सिफारिश की थी। यूएफआरएमपी चरण-2 में ग्यारह (11) शहरों अर्थात भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, त्रिवेन्द्रम, विशाखापत्तनम, इंदौर और लखनऊके लिए विचार किया गया। इन शहरों के चयन के लिए मुख्य निर्धारक मुख्य रूप से भौतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक-आर्थिक और जलवायु कारकों के साथ-साथ बाढ़ से प्रभावित राज्यों की राजधानियाँ, राज्य के भीतर सबसे अधिक आबादी वाले शहर, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, पर आधारित हैं।

***

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 260, दिनांक 02.12.2025

अनुलग्नक-I/पृ.1

उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा अनुमोदित शमन, रिकवरी और पुनर्निर्माण परियोजनाओं का विवरण

शमन परियोजनाओं का विवरण:-

कार्यक्रम/परियोजना/स्कीम	एचएलसी द्वारा अनुमोदन की तिथि	एचएलसी द्वारा अनुमोदित कुल वित्तीय परिव्यय	एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा
शहरी बाढ़ जोखिम शमन कार्यक्रम [सात शहरों के लिए] चेन्नई के लिए कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद के लिए	27.11.2023 25.07.2024	3075.65	2482.62
हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम शमन कार्यक्रम (4 राज्य: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम)	25.07.2024	150.00	135.00
भूस्खलन जोखिम शमन के लिए कार्यक्रम [15 राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल]	07.11.2024	1000.00	900.00
बारह सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्यों को उत्प्रेरक सहायता कार्यक्रम [12 राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश]	28.01.2025	2022.16	1200.00
सर्वाधिक आकाशीय बिजली प्रवण 50 जिलों में आकाशीय बिजली सुरक्षा हेतु शमन परियोजना [10 राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल]	28.01.2025	186.78	121.14
शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजना (चरण-II) [ग्यारह (11) शहर अर्थात भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, त्रिवेन्द्रम, विशाखापत्तनम, इंदौर और लखनऊ]	30.09.2025	2444.42	2200.00
असम की 24 आर्द्रभूमियों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प	30.09.2025	692.05	519.04

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 260, दिनांक 02.12.2025

अनुलग्नक-I/पृ.2

रिकवरी और पुनर्निर्माण परियोजनाओं का विवरण:-

परियोजना का संक्षिप्त विवरण (राज्य की पीडीएनए रिपोर्ट के अनुसार)	एचएलसी द्वारा अनुमोदन की तिथि	एचएलसी द्वारा अनुमोदित कुल वित्तीय परिव्यय	एनडीआरएफ से केंद्रीय हिस्सा
उत्तराखंड राज्य के लिए जोशीमठ भूस्खलन के बाद की रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ	27.11.2023	1658.17	1079.96
सिक्किम राज्य के लिए GLOF 2023 के बाद की रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ	25.03.2025	555.7	338.45
हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2023 में मानसून बाढ़/भूस्खलन के बाद की रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ	13.06.2025	2006.4	1504.8
असम राज्य के लिए वर्ष 2022 में बाढ़ और भूस्खलन के बाद की रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ	30.09.2025	1270.788	1016.63
केरल राज्य के लिए वायनाड भूस्खलन 2024 के बाद की स्थिति में रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ	30.09.2025	260.56	260.56

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 260, दिनांक 02.12.2025

अनुलग्नक-II

राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता राशि का विवरण (दिनांक 24.11.2025 तक)

(करोड़ रुपये में)

एनडीएमएफ से परियोजनावार जारी	शहरी बाढ़ जोखिम शमन कार्यक्रम		शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजना (यूएफआरएम पी) (चरण-II)		हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम शमन कार्यक्रम			भूस्खलन जोखिम शमन के लिए कार्यक्रम		बारह सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्यों को उत्प्रेरक सहायता कार्यक्रम		वन अग्नि प्रबंधन हेतु शमन परियोजना		आकाशीय बिजली सुरक्षा हेतु शमन परियोजना	
राज्य/वर्ष	एनडीए मएफ आवंटन	जारी	एनडीए मएफ आवंटन	जारी	एनडीए मएफ आवंटन	जारी		एनडीए मएफ आवंटन	जारी	एनडीए मएफ आवंटन	जारी	एनडीए मएफ आवंटन	जारी	एनडीए मएफ आवंटन	जारी
जारी वर्ष		2024-25				2024-25	2025-26		2025-26		2025-26				
आंध्र प्रदेश			200.00							100.00	50.00	16.63	-	9.94	-
अरुणाचल प्रदेश					40.50	1.83		45.00				13.06	-		-
असम			200.00					60.30				26.79	-		-
बिहार			200.00							100.00			-	16.47	-
छत्तीसगढ			200.00									63.04	-	12.11	-
गुजरात	243.90	73.17								100.00		7.79	-		-
हिमाचल प्रदेश					31.50		9.45	125.10				7.34	-		-
झारखंड										100.00		21.95	-	12.11	-
कर्नाटक	238.73	71.62						64.80		100.00	50.00	30.20	-		-
केरल			200.00					64.80				14.13	-		-
मध्य प्रदेश			400.00							100.00	50.00	88.80	-	16.47	-
महाराष्ट्र	750.00	225.00						90.00		100.00	50.00	48.24	-	12.11	-
मणिपुर								45.00				24.76	-		-
मेघालय								45.00				12.40	-	5.58	-
मिजोरम								45.00				27.52	-		-
नागालैंड								45.00				20.87	-		-
ओडिशा			200.00							100.00	50.00	56.77	-	12.11	-
राजस्थान			200.00							100.00	50.00		-		-
सिक्किम					36.00	8.35		45.00	13.50				-		-
तमिलनाडु	500.00	114.75						45.00		100.00	50.00	9.48	-		-
तेलंगाना	250.00	75.00								100.00	50.00	24.33	-		-
त्रिपुरा								9.90					-		-
उत्तर प्रदेश			400.00							100.00			-	16.47	-
उत्तराखंड					27.00		8.10	125.10	4.54			15.06	-		-
पश्चिम बंगाल	500.00	150.00						45.00					-	7.76	-

*इसके अलावा, असम राज्य के लिए एनडीएमएफ से 519.04 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ असम के 24 आर्द्रभूमियों के जीर्णोद्धार और कायाकल्प के लिए एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

*सिक्किम राज्य की आपदा पश्चात आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) रिपोर्ट के आधार पर, सिक्किम राज्य के लिए डीआरआर हेतु एनडीएमएफ से 217.16 करोड़ रुपये के निधि आवंटन को मंजूरी दी गई है।

***